

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू ।
अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र

उप मण्डल अधिकारी (ना०), कुल्लू जिला कुल्लू वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल पार्वती स्थित शमशी, कुल्लू, कनिष्ठ अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मनीकर्ण तहसील भून्तर जिला कुल्लू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र कसोल तहसील भून्तर जिला कुल्लू, पटवारी, पटवार वृत्त मनीकर्ण तहसील भून्तर जिला कुल्लू एवं मैसर्ज बीना बुटेल (Sole) द्वारा दिनांक 18-11-2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न करके लघु हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्बा तदादी 1.49 हैक्ट० स्थित फाटी सोसन, कोठी कनावर, तहसील भून्तर जिला कुल्लू के हस्तान्तरण बारे अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्बा तदादी 1.49 हैक्ट० स्थित फाटी सोसन, कोठी कनावर, तहसील भून्तर जिला कुल्लू को मैसर्ज बीना बुटेल (सोल) के नाम अर्जन हेतु अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ता०/-
(युस)
उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या—20-21—/डी०आर०ए० • दिनांक—6-01-2017

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल पार्वती स्थित शमशी जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।

M/s Beena Butail, Bandla Tea Estate, Palampur District Kangra, H.P. को उनके पत्र दिनांक 15-12-2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(युस)
उपायुक्त कुल्लू।
उपायुक्त